

कार्यालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला जयपुर


क्रमांक : 05

दिनांक : 19.03.2020

:: कार्यालय आदेश ::

कोरोना वायरस के संक्रमण के वचाव हेतु भागनीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा परिपत्र संख्या 8/पीआई/2020 दिनांक 17.03.2020 के जरिए दिनांक 31.03.2020 तक आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा शेष प्रकरणों को दिनांक 31.03.2020 के पश्चात नियत किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसकी पालना में इस न्यायालय की दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक जमानत प्रार्थना पत्रों, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों, रिमाण्ड, न्यायिक अभिरक्षा से संबंधित प्रकरणों एवं नए स्टे प्रार्थना पत्रों के अतिरिक्त शेष प्रकरणों में निम्नानुसार तारीख पेशी नियत की जाती है :-

क्रम संख्या	पेशी की दिनांक	आगामी पेशी की दिनांक
1	20.03.2020	20.07.2020
2	21.03.2020	21.07.2020
3	23.03.2020	23.07.2020
4	24.03.2020	24.07.2020
5	26.03.2020	22.07.2020
6	27.03.2020	27.07.2020
7	28.03.2020	28.07.2020
8	30.03.2020	30.07.2020
9	31.03.2020	31.07.2020


(विकास एचरा)


वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहपुरा, जिला जयपुर

क्रमांक : 57

दिनांक: 19.03.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्रिका है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर
2. दी वार एसोसिएशन शाहपुरा जिला जयपुर
3. न्यायालय नोटिस बोर्ड
4. समाचार पत्र दैनिक भारकर/राजस्थान पत्रिका
5. आदेश पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।


(विकास एचरा)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहपुरा, जिला जयपुर